

LAYOUT PLAN OF SHREE GOVIND VILLA

VILLAGE :- PEEPLA BHARATSINGH TEHSIL SANGANER, JAIPUR

923.
B
14.7.2,

पैपल भारती मान उपग्रह सहाय की स्वीकृति अनुसार
जहाँ से 12.5% प्रचुरता को (अम्पली) दर्शन मुक्त
करने का निर्णय लिया गया।

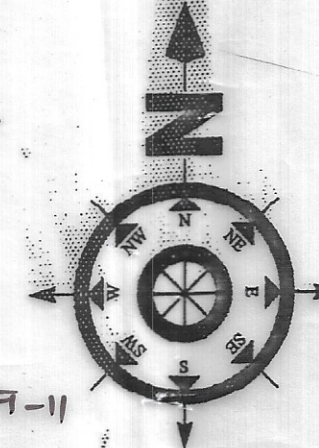
जोन स्कीम की बैठक दिनांक 17/5/22 को
लिए गये निर्णय के अन्तर्गत योजना में स्थित
दिए गए नम्बर 8/994 का नामांकन किया गया है।

सहायक नगर नियोजक
जोन-11

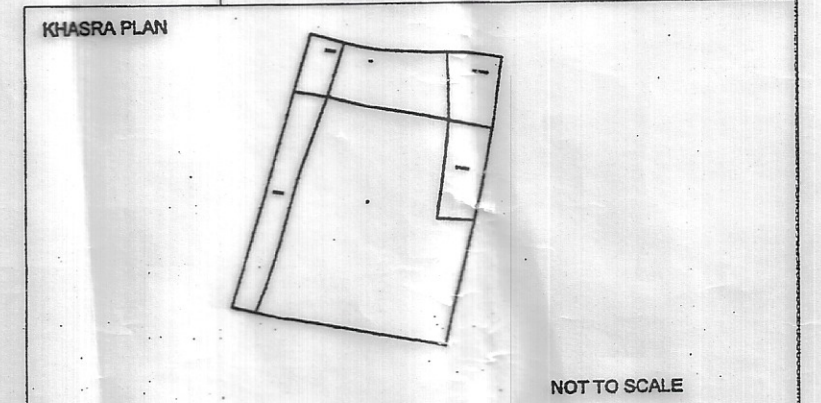
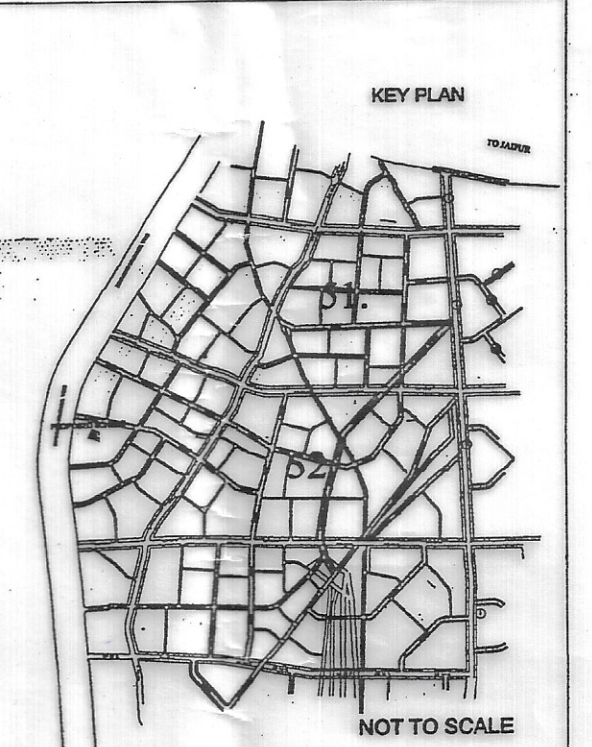
उपग्रह जोन-11

सहायक नगर नियोजक
जोन-11

उपग्रह जोन-11



SCALE:- 1CM=4M



मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग
भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-

आवासीय व्यवसायिक

- पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड -
- चार दीवारी निर्मित भूखण्ड -
- खाली भूखण्ड - 59 कुल भूखण्ड

नीचे के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल (Sq.mtr)	प्रतिशत
1	RESIDENTIAL	5083.75	45.29%
2	RETAIL COMM.	185.35	1.65%
3	E.W.S.	266.41	2.37%
4	L.I.G.	302.30	2.69%
5	PARK	565.02	5.03%
6	RESERVE FOR WASTE DISPOSAL/MOBILE TOWER	60.39	0.54%
7	ROAD	4761.78	42.43%
	कुल योजना क्षेत्र	11225.00	100.00%

योजना की भूमि की रा.भू.स. अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही एवं नीचे के भूमि का प्रमाणिकरण से प्राप्त किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम
तहसीलदार
उपग्रह जोन-11

श्री.पी.सी. / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक
की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।
NAME OF SCHEME :- SHREE GOVIND VILLA
VILLAGE :- PEEPLA BHARATSINGH
TEH :- SANGANER

ZONE NO. 11	SECTOR NO. 52
SCALE 1 CM=4M.	DRG. NO.
	S.T.P.
A.T.P. ZONE	D.T.P.
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR	

योजना में सम्मिलित सभी खसतों को 90ए का निर्णय दिनांक 18-01-2021 को हो चुका है। प्रति पृष्ठ संख्या 72/सी पर संलग्न है।

- मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत आवेदित भूमि का भू-उपयोग यू-1 (आवासीय) योजना अनुज्ञेय है।
- योजना की भूमि में रा.भू.स. अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं खसत सौमाओं का प्रमाणिकरण अमीन द्वारा किया गया है।
- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 298वीं बैठक दिनांक 05-04-2021 में किया जा चुका है, जिसकी अनुपालना में अनुमोदित मानचित्र जारी किया गया है।
- योजना के पश्चिम की ओर स्थित सड़क का मार्गाधिकार नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 10-08-2020 के प्रावधान अनुसार 18.00 मीटर निर्धारित किया गया है।
- योजना के पश्चिम की ओर स्थित 18.00 मीटर सड़क से योजना तक योजना मानचित्र में दर्शित 12 मीटर चौड़ी एप्रोच सड़क से प्रभावित भूमि कच्चा जोन के अधिवासी अभियंता द्वारा मानचित्र जारी करने से पूर्व प्राप्त किया जावे।
- आवेदक द्वारा सड़क से प्रभावित भूमि हेतु पंजीकृत समर्पणनामा जविग्रा के पक्ष में प्रस्तुत करने एवं उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में जविग्रा के नाम दर्ज होने के पश्चात ही योजना मानचित्र जारी किया जावे।
- प्रस्तावित योजना में दर्शित 12.00 मीटर पट्टा सड़क को योजना की सीमा तक कायम रखा जावे, जिससे समीपस्थ योजना का प्रस्ताव प्राप्त होने पर पट्टा मार्ग उपलब्ध हो सके।
- प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर वैरामीटर्स जविग्रा अधिनियम 2020 के अनुसार देय होंगे।
- प्रकरण में टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत कार्यवाही की जावे।
- आवेदक से प्रकरण से संबंधित लेय राशि यथा बी.एस.यू.पी./विकास शुल्क/उपविभाजन/पुनर्गठन/पुनर्गठन आदि (जो भी लेय हों) की राशियां जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2020 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- कार्पर के भूखण्डों के नियमानुसार कार्य दिये गये हैं।
- एल.टी./एच.टी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों का पट्टा एल.टी./एच.टी. लाईन हटाने के बाद दिया जावेगा।
- प्रांताधिकार विकास कार्य के एवज में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड जविग्रा में रहन रखे जाते हैं :-
भूखण्ड संख्या 14, 28, 29, 30, 49, 50, 51

सहायक नगर नियोजक-11
जविग्रा, जयपुर

तहसीलदार-11
जविग्रा, जयपुर

उपग्रह जोन-11
जविग्रा, जयपुर

सहायक नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)
जविग्रा, जयपुर

सहायक नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)
जविग्रा, जयपुर

आवासीय भूखण्ड	59
खुदरा व्यवसायिक	8
ई.कम्यू.एस./एल.आई.जी.	11
कुल	78
बाक	1

For FRIENDS URBAN HOUSING INC.
Shankar Partner